# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

☎ का. : 07759–221273 , नि.: 07759– 222504,, फैक्स 07759–223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/ 3163 कोरबा, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

वनमंडलाधिकारी/नोडल अधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल धरमजयगढ़

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 proposed for Construction of 765 KV D/C Dharamjaigarh - Raigarh (Tamnar) Pool Transmission Line under Korba Forest Division of Chhattisghar State for M/s Goa Tamnar Transmission Project Limited Area - 137.014 Ha. (Korba Division area 55.424 ha) - regarding
पंजीयन कमांक – FP/CG/TRANS/35105/2018

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध/विद्युत/एल.एम–479–173/3217 दिनांक 28.9.2018

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उपप्रबंधक (प्रोजेक्टस) गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कोरबा के द्वारा 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़–रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन बिछाने हेतु संरक्षित वन 6.481 हेक्टर, नारंगी वनखण्ड 14.848 हेक्टर एवं राजस्व वनभूमि 34.095 हेक्टर कुल 55.424 हेक्टर का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देश तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

01. आवेदनकर्ता उपप्रबंधक (प्रोजेक्टस) गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कोरबा के द्वारा 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़–रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन बिछाने हेतु मांग की गई है।

02. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव के शासन आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 181000/– रूपये जमा कराये गये है।

03. डायवर्सन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का साईड क्वालिटी – IVb, घनत्व 0.2 से 0.7 संलग्न है एवं इसमें साल, बीजा, महुआ, परसा, धौरा, गोइंजा, नीलगिरी एवं अन्य प्रजाति के वृक्ष खड़े है।

04. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नानुसार है –

    (III) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़–रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन बिछाने हेतु मांग की जा रही है वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई गैर वनभूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।

    (IV) व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

05. प्रस्तावित परियोजना के कियान्वयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

06. वैकल्पिक वृक्षारोपण संरक्षित वन में चयनित किया गया है। वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त का वनमंडलाधिकारी जांजगीर–चांपा वनमंडल का प्रमाण पत्र एवं साथ ही संरक्षित वन में स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्ष 2018–19 के हिसाब से प्रस्तुत किया गया है। तथापि आवेदक संस्थान ने वर्तमान दर से राशि जमा करने की सहमति के लिये वचन पत्र संलग्न किया है।

07. डायवर्सन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के आस–पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

08. परियोजना का Cost Benefit Analysis तैयार कर संलग्न प्रस्तुत है। परियेाजना का B/C Ratio -1:135 है।

09. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र Biosphere Reserve प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी आदिवासी सेंटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

10. आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग है एवं आवेदित वनभूमि की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

11. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 55.424 हेक्टर वनभूमि की दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन दिया है।

12. आवेदित गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति लागू नहीं है।

13. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची, कलेक्टर को अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव संलग्न है।

14. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

15. प्रत्याशा मूल्य (NPV) की गणना पत्रक संलग्न है।

उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के दूगने क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे का कार्य आवेदक संस्थान के द्वारा किया जा चुका है। रिपोर्ट एवं मानचित्र संलग्न है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिंद्धांतों के अनुरूप सही औपचारिकताएँ पूर्ण कर डायवर्सन प्रस्ताव 5 प्रतियों में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

सहपत्र – उपरोक्तानुसार ।

वनमंडलाधिकारी
कोरबा वनमंडल कोरबा

पृ.क्रमांक/तक.अ./ 3164 कोरबा, दिनांक 08/05/2019

प्रतिलिपि :– 1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2) मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3) उपप्रबंधक (प्रोजेक्टस), गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कोरबा की ओर सूचनार्थ।

वनमंडलाधिकारी
कोरबा वनमंडल कोरबा